

जायेगा, जिससे कि वे इस वर्ष पीने के पानी की अमूल्य समस्या में निपट सकें।

(ग) क्या इस संबंध में अन्य राज्यों से भी कोई प्रभाव आये है और यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा): (क) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में कठिन समस्यावाली 1100 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की वसवटों में पाने के पाने की सुसगई के लिये प्रत्येक में एक हैडरूप लगाने के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को दी गई शक्तियों के अंतर्गत प्रति हैडरूप 18000 रुपये का अधिकतम लागत के अन्दर योजनाओं की स्वीति सलाह दी गई थी।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य सरकारों की सूचित किया गया था कि 18000 रुपये से अधिक लागत को उनके द्वारा उनके राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में से पूरा किया जाना है। तथापि, सामान्य केन्द्रिय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सगसई कार्यक्रम के अंतर्गत 18000 रुपये से अधिक लागत वाली योजनाओं के लिये अलग-अलग योजना के गुण-दोष और तकनीकी व्यौरों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति दी जाती है।

Discontinuance of the purchase of pure Drinks brands of soft drinks by railways

1147. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways have stopped the purchase of pure Drinks brands of soft drinks;

(b) if so, since when; and

(c) the reasons for not purchasing the soft drinks of Pure Drinks?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Ordar was assued on 18th January, 1990.

(c) M/s Orisntal Building & Furnishing Company Ltd. a sister concern of Pure Drinks Ltd. and M/s Pure Drinks themselves are in unauthorised occupation of railway land in Now Delhi worth crores of rupees. Not only the said group failed to pay to the Railways large amounts due for the use of land in the past, but they continue to occupy and use the said land without any right and without paying any dues.

समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत कार्यकारी

1148. श्रीमती बीणा वर्मा : श्री कपिल वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत काम करने वाली लगभग 5 लाख महिला कार्यकारी अत्यन्त दयनीय स्थिति में रह रही हैं; यदि हाँ, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितनी आंगनवाड़ियां चल रही हैं और किन किन सेवा-शर्तों के अधीन महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाती है?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) देश में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के अंतर्गत स्वीकृत 2.70 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और इतनी ही संख्या में सहायिकाएँ हैं। योजना में समुदाय की सहभागिता एक अनिवार्य घटक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय समुदाय से अंगकालिक अवैतनिक कार्यकर्ता होती है उनकी स्थिति दयनीय नहीं होती और सरकार ने उनकी स्थितियों में सुधार करने के

लिए समय समय पर कदम उठाए हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

- 1985 में उनकी वार्षिक छुट्टियां 12 दिनों से बढ़ा कर 20 दिन कर दी गई।
- 1989 में यह व्यवस्था कर दी गई कि 90 दिनों की वतन सहित प्रसूति छुट्टी जो एक बार दी जाती थी अब दो बार उसका लाभ उठाया जा सकता है।
- 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले नान-मैट्रिक आंगनाड़ी कार्यकर्ता जुलाई, 1986 से मैट्रिकुलेट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के समान मानदेय प्राप्त करेंगे।
- जनवरी, 1988 में यह निर्णय किया गया कि सुपरवाईजरी की नियुक्ति के मामले में 8 से 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को तरजीह दी जायेगी।

- 1989 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को आंगनवाड़ी केन्द्र में पूरक पोषाहार लेने के लिए अधिकृत किया गया।

(ख) देश में अब तक स्वीकृत 2.70 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वैच्छिक और अवैतनिक कार्यकर्ता होते हैं जो स्थानीय समुदाय से लिए जाते हैं। उन्हें सप्ताह में 6 दिन 4 घंटे प्रति दिन कार्य करना होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरक पोषाहार घर-घर का दौरा करके लाभ-भोक्ताओं का चयन करने रोग-निरोधन टीकों के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्ध करने और सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने के जिम्मेदार होते हैं। इन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों, जो आई. सी. डी. एस. योजना के लिए कार्यकारी एजेंसियां होती हैं, के द्वारा की जाती है उन्हें निम्नलिखित मानदेय दिया जाता है:-

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	प्रतिमाह मानदेय की राशि (रुपए)
- नान-मैट्रिकुलेट	225/- रु.
नान-मैट्रिक जिसे 5 वर्ष अवैतनिक कार्य के अनुभव हो	250/- रु.
- नान-मैट्रिकुलेट जिसे अवैतनिक कार्य का 10 वर्षों से अधिक अनुभव हो	275/- रु.
- मैट्रिकुलेट	275/- रु.
- मैट्रिकुलेट जिसे अवैतनिक कार्य करते हुए 5 वर्ष का अनुभव हो	300/- रु.
- मैट्रिकुलेट जिसे अवैतनिक कार्य करते हुए 10 वर्ष और इससे अधिक का अनुभव हो	325/- रु.
(ख) सहायिका	110/- रु.